



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032024-253287
CG-DL-E-21032024-253287

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1439]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 21, 2024/चैत्र 1, 1946

No. 1439]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 21, 2024/CHAITRA 1, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2024

का.आ. 1508(अ).—यतः, मै. एसईजेड बायोटेक सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड ने महाराष्ट्र राज्य के ग्राम मंजरी बुदरुक, तालुका हवेली, जिला पुणे में जैव.प्रौद्योगिकी के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित क्षेत्रों को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया, जिनका विवरण इस प्रकार है;

क्रम सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना दिनांक	अधिसूचित क्षेत्र	परिणामतः क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	का.आ.651(अ)	29.03.2012	11.50675	11.50675
2.	का.आ.341(अ)	07.02.2013	4.613355	16.1201
3.	का.आ.1399(अ)	02.05.2017	0.97	17.0901

4.	का.आ.3872(अ)	01.08.2018	4.1925	21.2826
5.	का.आ.2380(अ)	24.05.2022	1.140	22.4226

और यतः, मै. एसईजेड बायोटेक सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड ने अब 3.9035 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूपमेंशामिल करने का प्रस्ताव किया है और केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर विचार करके उसे दिनांक22फरवरी, 2024 कोअनुमोदित कर दिया है और अपनी सहमति से अवगत करा दिया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में से 3.9035 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने के लिए अधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 26.3261 हेक्टेयर हो जाएगा। अधिसूचना के लिए सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्रफल नीचे तालिका में दिए गए हैं:-

तालिका

क्र. सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	मंजरी	105/2/1	0.7540
2.		105/3	2.2805
3.		108/4बी	0.0650
4.		105/2/2	0.8040
कुल			3.9035
उपयुक्त जोड़के पश्चात एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			26.3261

[फा. सं. एफ.1/18/2011-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ SECTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2024

S.O. 1508(E).—WHEREAS, M/s. SEZ Bio-Tech Services Private Limited, had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a Special Economic Zone for Biotechnology at Village Manjari Budruk, Taluka Haveli, District Pune, in the State of Maharashtra;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified the following areas at above Special Economic Zone as per the details given below: -

S. No.	Notification No.	Notification Date	Notified Area	Resultant Area (Area in hectares)
1.	S.O. 651(E)	29.03.2012	11.50675	11.50675
2.	S.O. 341 (E)	07.02.2013	4.613355	16.1201
3.	S.O. 1399(E)	02.05.2017	0.97	17.0901

4.	S.O. 3872(E)	01.08.2018	4.1925	21.2826
5.	S.O.2380(E)	24.05.2022	1.140	22.4226

AND, WHEREAS, M/s. SEZ Bio-Tech Services Private Limited has now proposed to include an area of 3.9035 hectares as a part of above Special Economic Zone and the Central Government after considering the said proposal approved and conveyed it on 22nd February, 2024;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies an additional area of 3.9035 hectares, as a part of above Special Economic Zone, thereby making total area of the Special Economic Zone as 26.3261 hectares. The survey numbers and the area for notification are given below in the table, namely:-

TABLE

S. No.	Village	Survey No.	Area in hectares
1.	Manjri	105/2/1	0.7540
2.		105/3	2.2805
3.		108/4B	0.0650
4.		105/2/2	0.8040
Total			3.9035
Grant total area of SEZ after above addition			26.3261

[F. No. F.1/18/2011-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.